



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 548] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 13, 1978/अग्रहायण 22, 1900
No. 548] NEW DELHI, WEDNESDAY, DEC. 13, 1978/AGRAHAYANA 22, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

(वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय)

(नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 1978

आदेश

का. आ. 709 (अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वाणिज्य नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय (नागरिक पूर्ति और सहकारिता विभाग) के आदेश संख्या का. आ. 345 (अ) तारीख 20 मई, 1978 के साथ प्रकाशित चाय (व्यवहारियों

का रजिस्ट्रिकरण और स्टॉकों की घोषणा) द्वितीय आदेश, 1978 का विखंडित करती हैं :

परन्तु ऐसे विखंड का —

- (क) उक्त आदेश के पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई किसी बात, या
- (ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या
- (ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किये गये किसी अपराध की बाबत उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दंड, या
- (घ) यथा पूर्वाक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार वैसे ही संस्थित, जारी या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड अधिरूपित किया जा सकेगा मानों उक्त आदेश विखंडित नहीं किया गया था ।

[मि. सं. 28(3)/78-ई. सी. आर.]

ए. एस. सेठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(Department of Civil Supplies and Cooperation)

New Delhi, the 13th December, 1978

ORDER

S.O. 709(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby rescinds the Tea (Registration of Dealers and Declaration of Stocks) Second Order, 1978, published with the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce, Civil Supplies and Cooperation (Department of Civil Supplies and Cooperation) No. S.O. 345(E) dated the 20th May, 1978 :

Provided that such rescission shall not affect—

- (a) the previous operation of the said order or anything duly done or suffered thereunder; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or
- (d) any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid ;

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced, and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been rescinded.

[File No. 26(3)/78-ECR]

A. S. SETHI, Jt. Secy.